न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुंगरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः— 156/18 निर्णय दिनांकः—22.01.2021

1 श्री दला पिता कमजी ननोमा जाति मीणा निवासी घुवेड तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान। वादी

बनाम

1 श्री मरता पिता कुबेर रोत जाति मीणा निवासी घुवेड फला मोती फला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री पप्पु पिता मरता रोत जाति मीणा निवासी घुवेड फला मोती फला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 गौतम पिता मरता रोत जाति मीणा निवासी घुवेड फला मोती फला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.। प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188, 92 ए व 209 रा.टी. एक्ट,

सपठित धारा 151 जा.दी

उपस्थित :—श्री बालगोविन्द पाटीदार वादीगण की ओर से

श्री श्रवण रावल प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी एक ही गांव घुवेड के स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि होकर स्थित है। वादी ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तांतरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी उसके परिवार से लडाई झंगडा करने को अमादा रहते है। वादी की भुमि पर कब्जा अतिकमण कर निर्माण करने की धमकीया देते है। दिनांक 15/10/2018 को प्रतिवादीगण हम सलाह एवं एक राय होकर वादी के खेत ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा पर आये ओर अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी के खेत की फसल नष्ट करने लगे जिसका विरोध करने पर लडाई झंगडा करने लगे व जान से खत्म करने की धमकिया देने लगे एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भुमि पर नींच खोद दी है एवं मकान निर्माण करने की धमकिया दे रहे है वादी इस भुमि से अपना कब्जा हटा लेवे अन्यथा उसका अंजाम वादी व उसके परिवार को भुगतना पडेगा। अब इस भुमि को हम प्रतिवादीगण ही कमायेगा। तथा यदि वादी या उसके परिवार को हाथ धोना पडेगा। तथा प्रतिवादीगण इस भुमि के सम्बन्ध में यह भी देने लगे की प्रतिवादीगण इस भुमि में मकान निर्माण करेगे।

कमशः पेज 2 पर

प्रतिवादीगण अकारण वादग्रस्त भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा विवाद कर रहे है तथा मौके पर निर्माण की धमकिया भी देने लगे। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य से यह स्पष्ट होने पर वादी को काश्त नहीं करने लगे ऐसी परिस्थिति में जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे। वादी को वादग्रस्त भुमि में जुताई बुवाई शांतिपुर्वक ढंग से करने दे फसल को नुकसान नहीं पहूंचावे, फसल को चोरी कर न ले जावे। वादग्रस्त भुमि में किसी प्रकार का अतिकमण किया जाता है तो उसे विध्वंस कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने दिनांक 26.11.2019 को बंद कर दिया गया है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री दला पिता कमजी ननोमा निवासी घुवेड
2 पीडब्लयु–2– श्री लसु पिता नानीया ननोमा निवासी घुवेड
3 पीडब्लयु–3– श्री वाला पिता हिरा ननोमा निवासी घुवेड

उक्त बयानो मे बताया की वादी व प्रतिवादी एक ही गांव घुवेड के स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि होकर स्थित है। वादी ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तांतरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी उसके परिवार से लडाई झंगडा करने को अमादा रहते है। वादी की भुमि पर कब्जा अतिक्रमण कर निर्माण करने की धमकीया देते है। दिनांक 15/10/2018 को प्रतिवादीगण हम सलाह एवं एक राय होकर वादी के खेत ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा पर आये ओर अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी के खेत की फसल नष्ट करने लगे जिसका विरोध करने पर लडाई झंगडा करने लगे व जान से खत्म करने की धमकिया देने लगे एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भुमि पर नींच खोद दी है एवं मकान निर्माण करने की धमकिया दे रहे है वादी इस भुमि से अपना कब्जा हटा लेवे अन्यथा उसका अंजाम वादी व उसके परिवार को भुगतना पडेगा। अब इस भुमि को हम प्रतिवादीगण ही कमायेगा। तथा यदि वादी या उसके परिवार को हाथ धोना पडेगा। तथा प्रतिवादीगण इस भुमि के सम्बन्ध में यह भी देने लगे की प्रतिवादीगण इस भुमि में मकान निर्माण करेगे प्रतिवादीगण अकारण वादग्रस्त भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा विवाद कर रहे है तथा मौके पर निर्माण की धमकिया भी देने लगे। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य से यह स्पष्ट होने पर वादी को काश्त नहीं करने लगे ऐसी परिस्थिति में जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कमशः पेज 3 पर

प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे। वादी को वादग्रस्त भुमि में जुताई बुवाई शांतिपुर्वक ढंग से करने दे फसल को नुकसान नहीं पहूंचावे, फसल को चोरी कर न ले जावे। वादग्रस्त भुमि में किसी प्रकार का अतिकमण किया जाता है तो उसे विध्वंस कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे। वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2070–2073 की हाल जमाबंदी

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी व प्रतिवादी एक ही गांव घुवेड के स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि होकर स्थित है। वादी ने अपनी भुमि प्रतिवादीगण को विक्रय या हस्तांतरित नहीं की है उसके बावजुद प्रतिवादीगण वादी उसके परिवार से लडाई झंगडा करने को अमादा रहते है। वादी की भुमि पर कब्जा अतिक्रमण कर निर्माण करने की धमकीया देते है। दिनांक 15/10/2018 को प्रतिवादीगण हम सलाह एवं एक राय होकर वादी के खेत ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा पर आये ओर अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर वादी के खेत की फसल नष्ट करने लगे जिसका विरोध करने पर लडाई झंगडा करने लगे व जान से खत्म करने की धमकिया देने लगे एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भुमि पर नींच खोद दी है एवं मकान निर्माण करने की धमकिया दे रहे है वादी इस भुमि से अपना कब्जा हटा लेवे अन्यथा उसका अंजाम वादी व उसके परिवार को भुगतना पडेगा। अब इस भुमि को हम प्रतिवादीगण ही कमायेगा। तथा यदि वादी या उसके परिवार को हाथ धोना पडेगा। तथा प्रतिवादीगण इस भुमि के सम्बन्ध में यह भी देने लगे की प्रतिवादीगण इस भुमि में मकान निर्माण करेगे। प्रतिवादीगण अकारण वादग्रस्त भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा विवाद कर रहे है तथा मौके पर निर्माण की धमकिया भी देने लगे। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य से यह स्पष्ट होने पर वादी को काश्त नहीं करने लगे ऐसी परिस्थिति में जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे। वादी को वादग्रस्त भुमि में जुताई बुवाई शांतिपुर्वक ढंग से करने दे फसल को नुकसान नहीं पहूंचावे, फसल को चोरी कर न ले जावे। वादग्रस्त भुमि में किसी प्रकार का अतिकमण किया जाता है तो उसे विध्वंस कर कब्जा वादी को दिलवाया जावे।वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है।

क्रमशः पेज 4 पर

ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। तथा गवाहों के साक्ष्य यह साबित होता है। कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 22.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री दला बनाम श्री मरता वगैरह

वादबाबतः–स्थायी निषेधाज्ञा 188, 92 ए व 209 राज.टी. एक्ट एवं सपठित धारा 151 जा.दी

मुकदमानम्बरः–156/2018 ई. दी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरीः–श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई बालगोविन्द पाटीदार व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है किः–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि ग्राम घुवेड खाता संख्या 53, खसरा नम्बर 1441/1432 खेत किता 1 रकबा 12 बीघा भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 14.01.2021 को जारी की गई

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा सीमलवाड़ा

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा